लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2794

18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन हेतु निधि का आबंटन

2794. श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री राधेश्याम राठिया:
श्री प्रदीप पुरोहित:
श्री गोडम नागेश:
श्री अरुण गोविल:
श्री बलराम नाइक पोरिका:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2025-26 हेतु 5,272 करोड़ रुपए के बजट के कितने हिस्से को विशेषकर ओडिशा के वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाले वस्त्र उत्पादों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसी योजनाओं हेतु आवंटित किया जाएगा;

(ख) क्या इस बजट के अंतर्गत लघु और मध्यम वस्त्र उद्यमों (एसएमई), विशेषकर पारम्परिक हथकरघा और वस्त्र केन्द्रों की सहायता करने के लिए कोई नई पहल अथवा कार्यक्रम की योजना बनाई गई है और यदि हां, तो ओडिशा सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और वे ओडिशा में किस प्रकार वस्त्र कामगारों और उद्यमियों की सहायता करेंगे;

(ग) इस आवंटन के अंतर्गत देश, विशेषकर ओडिशा में वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या वैश्विक बाजारों में ओडिशा के अनूठे हथकरघा और वस्त्र उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(घ) हथकरघा बुनकरों और पारंपरिक कारीगरों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और तकनीकी वस्त्र विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (घ): सरकार ओडिशा सहित पूरे भारत में वस्त्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना क्रियान्वित कर रही है। पीएलआई योजना आकार और पैमाना हासिल करने और प्रतिस्पर्धी बनने के लिए एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। पीएलआई योजना के तहत कंपनियों को निर्धारित न्यूनतम निवेश तथा न्यूनतम कारोबार हासिल करने पर संवितरण हेतु 1143 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। योजना के तहत चयनित 74 आवेदकों में से 24 एमएसएमई के आवेदक हैं। ओडिशा में फैक्ट्री स्थापित करने हेतु कोई आवेदन नहीं मिला है।

इसके अलावा, वस्त्र मंत्रालय ने ओडिशा सहित देश भर में हथकरघा के पारंपरिक वस्त्रों को सहायता करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। विभिन्न योजनाबद्ध पहलों के तहत पात्र हथकरघा एजेंसियों/कामगारों को कच्ची सामग्री, उन्नत करघे और सहायक उपकरण की खरीद, सोलर लाइटिंग इकाइयों, वर्कशेड के निर्माण, उत्पाद विविधीकरण और डिजाइन नवाचार, तकनीकी और सामान्य अवसंरचना, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण और ओडिशा सहित पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए उद्यमियों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान की जाती है।

ओडिशा के विशिष्ट हथकरघा उत्पादों सहित हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों, बिग टिकट इवेंट्स, क्रेता-विक्रेता बैठकों, रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि में संगठन/भागीदारी के माध्यम से बाजार में पहुंच भी बनाई जा रही है। इंडिया हैंडलूम ब्रांड (आईएचबी), हैंडलूम मार्क (एचएलएम) और अन्य उपायों के माध्यम से प्रचार और ब्रांड विकास किया गया है। इसके अलावा, उपयुक्त शीर्ष/प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियों, निगमों, उत्पादकों की कंपनियों, हथकरघा पुरस्कार विजेताओं, निर्यातकों, अन्य प्रतिभाशाली बुनकरों आदि को अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग लिंकेज स्थापित करने में भी सहायता प्रदान की जा रही है, जो विशिष्ट निर्यात योग्य हथकरघा उत्पाद बना रहे हैं। नवाचार/अनुसंधान एवं विकास को सहायता देकर तथा पीएलआई द्वारा उत्पादन तथा बिक्री को प्रोत्साहित करके तकनीकी वस्त्र विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाता है।

***